38

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक 2848/पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 29.06.2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 710/12-13/अपील.

---

1. अलबेल सिंह पुत्र स्व. श्री रामचरण सिंह
2. कुलवंत सिंह
3. बलविन्दर सिंह
4. कुलदीप सिंह पुत्रगण अलबेल सिंह
5. मुंशी सिंह पुत्र स्व. श्री रामचरण सिंह

   समस्त निवासीगण ग्राम सिमरिया ताल

   तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. चंचल सिंह
2. कुंदन सिंह पुत्रगण स्व. श्री रामचरण सिंह

   निवासीगण ग्राम सिमरिया ताल

   तहसील डबरा, जिला ग्वालियर, म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री एस.एम. भान, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 8/8/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 29.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसील न्यायालय, डबरा के समक्ष भूमि स्वामी रामचरन सिंह के द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम सिमरिया ताल की भूमि सर्वे क्र. किता- 15 रकबा 5.61 हैक्टेयर का विभाजन अलबेल सिंह के हक में आपसी सहमति के आधार पर किये जाने की मांग की गई। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 8/04-05/अ-27 दर्ज कर दिनांक 10.03.2005 को बंटवारा आदेश पारित किया गया। तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, डबरा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 22.03.2013 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार करते हुए तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 29.06.2016 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) धारा 178 (क) के तहत भूमि स्वामी अपने जीवनकाल के दौरान अपने विधिक वारिसों में विभाजन तहसील न्यायालय में आवेदन देकर कर सकता है। इसी कानूनी आधार पर स्व. श्री रामचरन सिंह मूल भूमि स्वामी ने वादग्रस्त भूमि बंटवारे में आवेदकगण को प्रदान की, जिसे अनावेदकगण ने उनके जीवनकाल में कभी भी चैलेंज नहीं किया। प्रथम अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय एवं अपर आयुक्त का प्रश्नाधीन आदेश विधि विपरीत एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर तहसील न्यायालय का आदेश पुर्नस्थापित किया जाना न्यायोचित एवं परमावश्यक है।

(2) तहसीलदार द्वारा विधि की समस्त प्रक्रिया का पालन कर बंटवारा आदेश दिनांक 10.03.2005 को पारित किया, जिसे समयावधि में अनावेदकगण ने कभी भी प्रश्नगत नहीं किया। इस तथ्य को दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने ध्यान न देते हुए अनावेदकगण की अपील स्वीकार करने में तथा आवेदकगण की द्वितीय अपील निरस्त करने में वैधानिक त्रुटि की है। इसलिए दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(3) आवेदकगण के पिता स्व. श्री रामचरन सिंह ने अधीनस्थ न्यायालय में स्वेच्छापूर्वक एक प्रार्थना पत्र संहिता की धारा 178 के अंतर्गत का प्रस्तुत कर आवेदकगण को वादग्रस्त भूमि बंटवारे में प्रदान की, उस समय अनावेदकगण ने कोई आपत्ति नहीं की।

(4) संहिता की धारा 178 (क) के प्रावधान संहिता की धारा 164 के ऊपर यानी अध्यारोही हैं, जिसके अनुसार भूमि स्वामी अपनी इच्छानुसार जीवनकाल में अपने वारिसों को बंटवारा कर सकता है। इस विधिक बिन्दु पर दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों ने विचार किये बिना प्रश्नाधीन आदेश पारित किये हैं, जो निरस्त किये जाने योग्य हैं।

(5) अपर आयुक्त ने यह गलत निष्कर्ष दिया है कि आवेदकगण क्र. 2 लगायत 4 मूल भूमि स्वामी रामचरन सिंह के पुत्र अलबेल सिंह के पुत्र हैं। इसलिए उन्हें बंटवारे में भूमि नहीं दी जा सकती है। अपर आयुक्त का उक्त आदेश निष्कर्ष खिलाफ कानून होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(6) पटवारी ग्राम से तहसीलदार ने जानकारी प्राप्त नहीं की गलत है। पटवारी ग्राम की विधिवत रिपोर्ट लेकर तहसीलदार ने न्यायसंगत आदेश पारित किया है, जिसे उलटने में प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश नेचुरल जस्टिस के न्याय सिद्धांतों के विरूद्ध गलत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

(7) अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदकगण द्वारा प्रस्तुत अपील जो कि स्पष्टतया समयावधि वादित थी, समयबाह्य अपील को स्वीकार करने में अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है।

अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अभिलेख से स्पष्ट है कि विवादित भूमि के भूमि स्वामी रामचरन सिंह थे, रामचरन सिंह के अलावा विवादित भूमि अन्य कोई सह-खातेदार नहीं था। संहिता की धारा 178 के अनुसार बंटवारा सह-खातेदारों के मध्यहोता है, जब विवादित भूमि रामचरन सिंह के अलावा अन्य कोई सह-खातेदार नहीं था, तब संहिता की धारा 178 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं। सहमति का आवेदन भी सह-खातेदार ही प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदकगण विवादित भूमि के सह-खातेदार नहीं थे। इसलिए वे बंटवारा कराने के अधिकारी नहीं थे।

(2) संहिता की धारा 178 (क) के अनुसार भूमि स्वामी अपने जीवनकाल में भूमि का बंटवारा अपने वारिसान के मध्य कर सकता है। भूमि स्वामी रामचरन सिंह ने संहिता की धारा 178 क के तहत कोई भी आवेदन अपने वारिसान में बंटवारा करने के लिए विचारण न्यायालय में नहीं दिया था।

(3) भूमि स्वामी स्व. रामचरन सिंह के वारिसानों में उसके 4 पुत्र हैं, चंचल सिंह, कुंदन सिंह (अनावेदकगण), अलबेल सिंह (आवेदक क्रमांक 1) तथा मुंशीसिंह (आवेदक क्रमांक 5) हैं। इनके अलावा अन्य कोई पुत्र या पुत्री वारिस नहीं है। कुलवंत सिंह व बलविन्दर सिंह अनावेदक क्रमांक 1 व 2 स्व. रामचरन सिंह के पुत्र नहीं हैं। यह आवेदक क्रमांक 1 अलबेल सिंह के पुत्र हैं।

(4) भूमि स्वामी रामचरन सिंह द्वारा संहिता की धारा 178 (क) के तहत यदि बंटवारा किया होता तो अपने चारों पुत्रों के मध्य बंटवारा करता, जबकि विचारण न्यायालय के आदेश में अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 3 व रामचरन सिंह के मध्य बंटवारा किया गया है, जो कि संहिता की धारा 178(क) के विपरीत है।

(5) आवेदक क्रमांक 1 अलबेल सिंह द्वारा प्रस्तुत बंटवारा आवेदन पत्र को देखने से स्पष्ट है कि अलबेल सिंह ने सर्वे क्रमांक 508, 509 व 651 कुल किता 3 कुल रकबा 2.379 हैक्टेयर पर कब्जे के आधार पर आवेदन दिया है साथ ही आवेदन में यह भी लिखा है फर्द बंटवारा पटवारी से तैयार करा ली है।

(6) बंटवारा आवेदन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने बंटवारा नियमों का पालन नहीं किया। उक्त बंटवारा आवेदन पर रामचरन सिंह का फर्जी अंगूठा लगा है तथा रामचरन सिंह के कथन भी फर्जी अंकित किये गये हैं। रामचरन सिंह ने कोई कथन विचारण न्यायालय में नहीं दिया था। अनावेदकगण चंचल सिंह व कुंदन सिंह को बंटवारा प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है।

(7) विचारण न्यायालय द्वारा विधि विरूद्ध रूप से पारित आदेश को निरस्त करने में कोई भूल नहीं की है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि संगत है तथा 'दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के समवर्ती निष्कर्ष हैं, जिसमें हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है।' दोनों अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयोंके आदेश स्थिर रखे जाना न्यायोचित है।

(8) आवेदकगण ने अपने निगरानी मेमो में अनावेदकगण चंचल सिंह आदि द्वारा प्रथम अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का उल्लेख किया है, लेकिन आवेदकगण ने इस संबंध में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों में कभी कोई आपत्ति नहीं की। इसलिए इस न्यायालय में प्रथम बार समय सीमा के बिन्दु पर आपत्ति नहीं कर सकते।

(9) विचारण न्यायालय का आदेश अधिकारिता रहित है। विचारण न्यायालय ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर अर्थात् संहिता. की धारा 178 तथा 178 (क) के विपरीत तथा नामांतरण नियमों का पालन किये बिना भूमि स्वामी रामचरन सिंह एकल खातेदार होते हुए भी बंटवारा आदेश पारित किया है। ऐसा आदेश कानूनन शून्य है, शून्य आदेश के विरूद्ध समय सीमा का बंधन लागू नहीं होता है।

अत: उनके द्वारा निगरानी निरस्त करते हुए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश को स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि संहिता की धारा 178-क में पिता अपने जीवनकाल में अपने पुत्रों के मध्य प्रश्नाधीन भूमि बंटवारा कर सकता है। पुत्रों के जीवित रहते उनके पुत्रों को शामिल नहीं किया जा सकता है। इस प्रकरण में सभी वारिसों/पुत्रों को नहीं सुना गया है। पुत्रों के पुत्रों के नाम भी बंटवारे में शामिल किये गये है अत: अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करने में वैधानिक एवं उचित कार्यवाही गई है एवं अनुविभागीय अधिकारी के संहिता के प्रावधानों के अंतर्गत पारित आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गई है। अत: अपर आयुक्त पारित आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-6-2016 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर